

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 28, गुरुवार, शके 1944-अक्टूबर 20, 2022 Asvina 28, Thursday, Saka 1944- October 20, 2022	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2022

संख्या प.2(25)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं.3) अधिनियम, 2022 है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 44,02,12,18,000/- रु. का दिया जाना.-** अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आने वाले विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र 44,02,12,18,000/- रु. (चार हजार चार सौ दो करोड़ बारह लाख अठारह हजार रुपये) की राशियाँ संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी।
- विनियोजन.-** इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत की गयीं राशियाँ उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेंगी।

अनुसूची

वर्ष 2022-2023 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

		(देखिये धारा 2 और 3)		(रुपये सहस्र में)	
		अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है			
सेवाएं और प्रयोजन	दत्तमत	प्रभृत्त		योग	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	
1	2				
समेकित निधि					
(प्रभृत्त व्यय)					
2049.	ब्याज अदायगियां	28	..
	योग	28	..
अनुदानों के लिये मांगे					
मांग संख्या - 7					
(निर्वाचन)					
2015.	निर्वाचन	1
	योग	1
मांग संख्या - 11					
(विविध सामाजिक सेवाएं)					
3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	2
	योग	2
मांग संख्या - 19					
(लोक निर्माण कार्य)					
4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	1
	योग	..	1
मांग संख्या - 22					
(क्षेत्र का विकास)					
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	1
	योग	..	1

मांग संख्या - 23**(श्रम और रोजगार)**

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,80,00,00	1,80,00,00
योग	1,80,00,00	1,80,00,00

मांग संख्या - 24**(शिक्षा, कला एवं संस्कृति)**

2202. सामान्य शिक्षा	3	3
2205. कला एवं संस्कृति	1	1
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	3,00,00,02	3,00,00,02
योग	4	3,00,00,02	3,00,00,06

मांग संख्या - 26**(चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई)**

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6	6
योग	6	6

मांग संख्या - 27**(पेय जल योजना)**

4215. जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	9	9
योग	..	9	9

मांग संख्या - 28**(ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम)**

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	2
योग	2	2

मांग संख्या - 29**(नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास)**

2217. शहरी विकास	1	1
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,77,10,15	1,77,10,15
योग	1	1,77,10,15	1,77,10,16

मांग संख्या - 30**(जनजाति क्षेत्रीय विकास)**

2202.	सामान्य शिक्षा	3	3
2217.	शहरी विकास	1	1
2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	21,00,00	21,00,00
2401.	फसल कृषि-कर्म	3	3
2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1	1
2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	2
2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3	3
2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग	6	6
3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	38,00,07	38,00,07
3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	30,00,00	30,00,00
4215.	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	8	8
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	6	6
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	3	3
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	3,00,00,04	3,00,00,04
	योग	89,00,26	3,00,00,21	3,89,00,47

मांग संख्या - 33**(सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)**

2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,27,00,18	..	1	..	13,27,00,19
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	..	2	2
	योग	13,27,00,18	2	1	..	13,27,00,21

मांग संख्या - 35**(विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं)**

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1,62,00,07	1,62,00,07
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	13,40,00,04	13,40,00,04
योग	1,62,00,07	13,40,00,04	15,02,00,11

मांग संख्या - 37**(कृषि)**

2401. फसल कृषि-कर्म	11	11
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	6	6
योग	17	17

मांग संख्या - 39**(पशुपालन एवं चिकित्सा)**

2405. मछली-पालन	1	1
योग	1	1

मांग संख्या - 41**(सामुदायिक विकास)**

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3	3
योग	3	3

मांग संख्या - 42**(उद्योग)**

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग	2	2
योग	2	2

मांग संख्या - 46**(सिंचाई)**

4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	1
योग	..	1	1

मांग संख्या - 51**(अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना)**

2202. सामान्य शिक्षा	2	2
----------------------	---	----	----	----	---

61	राजस्थान राज-पत्र, अक्टूबर 20, 2022				भाग 4 (क)
2217.	शहरी विकास	1	1
2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण	1	1
2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	27,00,00	27,00,00
2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	2
2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3	3
2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग	6	6
3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	50,00,07	50,00,07
3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	40,00,00	40,00,00
4215.	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	8	..	8
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	6	..	6
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	3	..	3
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	4,10,00,04	..	4,10,00,04
	योग	1,17,00,22	4,10,00,21	..	5,27,00,43
योग-समेकित निधि		18,75,01,12	25,27,10,77	29	44,02,12,18

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।